

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 17 /

भोपाल दिनांक / 12 / 2017

“आदेश”

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारियों को कॉलम कं 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम कं 5 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर अन्य आगमी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

कं	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नफीसा बानों	पब्लिक हेल्थ ट्यूटर	ए.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड	जी.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र राजगढ़
2	सुश्री हीरामणी तिग्गा	सिस्टर ट्यूटर	ए.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड	ए.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र शहडोल

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संरक्षा प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण—पत्र मान्य किया जाना संभव होगा, दो सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संरक्षा से नहीं किया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 22/12/2017

पृष्ठमांक / 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 17 / 1212

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर / रीवा / भोपाल मध्य प्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक राजगढ़ / भिण्ड / शहडोल मध्यप्रदेश।
4. जी.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र राजगढ़ म.प्र।
5. ए.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र शहडोल / भिण्ड म.प्र
6. संबंधित की ओर पालनार्थ।
7. प्रभारी, एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ती।

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 17 / 1208

भोपाल दिनांक 22/12/2017

"आदेश"

संचालनालय के आदेश क्र. 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 17 / 588 भोपाल दिनांक 10.07.2017 सूची में सरल कं 03 पर अंकित सु.श्री सूसन शर्मा सिस्टर ट्यूटर जी.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र रायसेन का प्रशासकीय व्यय पर जी.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र राजगढ़ किया गया स्थानातरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृष्ठमांक / 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 17 / 1209

भोपाल दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी म.प्र।
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. स्टॉफ आफीसर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. स्टॉफ आफीसर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
5. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
6. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल मध्य प्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक रायसेन / राजगढ़ मध्यप्रदेश।
8. संबंधित की ओर पालनार्थ।
9. प्रभारी, एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय।
10. आदेश नस्ती।


संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश